न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 115/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सोनाराम पुत्र भजनाराम 2– वालाराम पुत्र भजनाराम 3– पुरखाराम पुत्र भजनाराम 4– रामकिशन पुत्र इन्द्राराम 5– जोगाराम पुत्र इन्द्राराम 6– कसुम्बीदेवी पत्नी इन्द्राराम 7–मेहराराम पुत्र हरचंदराम के का0मु– 7.1–भारूराम पुत्र मेहराराम 7.2–बाबूराम पुत्र मेहराराम 7.3–भीखीदेवी पत्नी मेहराराम 7.4–लाभुराम पुत्र मेहराराम के का0मु– 7.4.1–गजाराम पुत्र लाभुराम 7.4.2–अरबाराम पुत्र लाभुराम 7.4.3–हरियादेवी पत्नी लाभुराम 8–लूणाराम पुत्र कोहलाराम के का0मु– 8.1–आम्बाराम पुत्र लूणाराम 8.2–खेताराम पुत्र लूणाराम 8.3–जगदीश पुत्र लूणाराम 8.4–भवाराम पुत्र लूणाराम 8.5–सगरतीदेवी पत्नी लूणाराम 9– चेतनराम पुत्र जलालराम 10–गोरधनराम पुत्र जलालराम 11–चेलाराम पुत्र भलाराम 12–नारणाराम पुत्र अणदाराम 13–निम्बाराम पुत्र अणदाराम 14–कनको पत्नी अणदाराम जातियान मेघवाल निवासी हजाणियो की ढाणी केरलीनाडी तहसील व जिला बाडमेर		1– तहसीलदार बाडमेर 2– जैसाराम पुत्र लांगाराम जाति मेघवाल निवासी हाजाणियो की ढाणी, केरलीनाडी तहसील व जिला बाडमेर 3– शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महाबार, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 309/2017 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम सोनाराम वगैरा मे दिनांक 9–5–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री अमित कुमार धनदे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री लादूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार बाडमेर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक सामान्य प्रार्थना पत्र पेश कर राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 की पालना मे सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे मौके पर

स्थायी रूप से चालू कदीमी परंतु राजस्व रेकर्ड मे किसी रूप मे दर्ज नही है, को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु मौजा केरलीनाडा हाजाणियो की ढार्णा, मीठडा के खसरा नंबर 2065/1537, 1536, 2061/1967, 1969, 1977, 1978 मे स्थाई रास्ते के रूप मे खातेदार के खाते मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 309/2017 दर्ज कर दूसरी पेशी पर ही प्रकरण को अटल सेवा केन्द्र गरल मे रखकर दिनांक 9–5–2017 को एकतरफा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार बाडमेर को मौजा केरलीनाडी हाजाणियो की ढाणी (मीठडा) की प्रस्तावित रास्ते के रूप मे जो सलग्न नक्शा मे लाल रंग से दशाई गई भूमि संबंधित खातेदार के राजस्व अभिलेख मे गै0मु0रास्ते के रूप मे दर्ज कर नक्शे मे तरमीम करने के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा मे पेश की है ।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 309/2017 दर्ज कर विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) को नोटिस जारी करने का आदेश आदेशिका मे दिया परंतु नोटिस जारी नही किये गये तथा पत्रावली दिनांक 9–5–2017 को केम्प कोर्ट गरल मे सुनवाई हेतु रखते हुए केम्प कोर्ट के नोटिस जारी किये, जिस पर तामिल कुनिन्दा अपीलांटगण के नोटिस लेकर उसके घर कभी नही आया और न ही अपीलांटगण को नोटिस बाबत सूचना दी गई और तामिल कुनिन्दा ने नोटिसेज पर अपीलांटगण ने नोटिस लेने से इन्कार एवं नोटिसेज को अपीलांट के घर गये बिना ही आबाद मकान पर चस्पा बताते हुए नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिये तथा अधीनस्थ न्यायालय ने तामिली पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–5–2017 मे अप्रार्थीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित होना बताते हुए अपीलाधीन निर्णय दूसरी पेशी मे ही एकतरफा पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना एकतरफा पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किसी के द्वारा प्रस्तुत नही किया था तथा कथन किया कि पूरी प्रकिया कम्प्युटराईज तरीके से सम्पन्न की गई है, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र कब दर्ज रजिस्टर किया गया, आदेशिका मे कोई तारीख का अंकन ही है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया दिनांक 8–5–2017 को हमारी ग्राम पंचायत मे

ही केम्प था, वहां भी सुनवाई की जा सकती थी परंतु पत्रावली को केम्प न्याय आपके द्वार अभियान–2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र गरल मे रखते हुए अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मौका रिपोर्ट एकतरफा एवं फर्जी तैयार की गई है जिस पर अपीलांटगणो के हस्ताक्षर नही है न ही किसी सेढा पडौसियान एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट है कि अकेले पटवारी हल्का ने ने दबाव मे तैयार की है तथा उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के परे जाकर पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी ने प्रस्तावित रास्ते को लाल रंग मे दर्शाकर बताया गया है कि रास्ते पर मौके पर पक्की सडक बनी हुई है, जो गलत है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि मौके पर कोई न तो पक्की सडक बनी हुई है और न ही ग्रेवल सडक बनी हुई है बल्कि राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रस्तावित किये गये स्थान से अलग स्थान पर रास्ता चलता है तथा उक्त चालू रास्ते के अनुसार यदि राज्य सरकार के आदेश की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे अंकन तरमीम करते तो अपीलांटगण को कोई उजर एतराज नही है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत एवं एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि अनुकुल नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे तरमीम करने एवं पटवारी हल्काा व राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रस्तावित नक्शे मे लाल रंग रास्ता अनुसार कई अपीलांटगण के खेतो के छोटे छोटे टुकडो मे विभक्त किया गया है । खातेदारो के खेतो को छोटे छोटे टुकडो मे विभक्त होने से काश्त कार्य किया जाना संभव नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच करवाये मात्र एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर पक्षकारान को अनावश्यक मुकदमेबाजी मे धकेला है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे सभी नोटिसेज आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए है परंतु मात्र जैसाराम जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 है, उनके नोटिस स्वयं से तामिलसुदा रेकर्ड पर है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही साजिशवशः वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 जैसाराम की है तथा कथन किया कि जैसाराम पूर्व मे सरपंच रह चुका है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने

तहसीलदार से एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब की । उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांटगण को जानकारी दिये बिना ही तैयार की गई जिस पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर अथवा अंगुठा निशान नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9–5–2017 को तैयार की गई । एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो का हनन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उपरोक्त खसरान की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत कर दिया तथा बाद मे वर्तमान रेस्पो0गण ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपीलांट को सूचित किये बिना आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवा दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–5–2017 की नकल आदि प्राप्त कर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि इस संबंध मे पक्षकारो के बीच फौजदारी मुकदमें भी दर्ज हुए है, जिसमे पटवारी के बयान लिये गये जिसमे पटवारी के बयानो मे विरोधाभास प्रकट हुआ । पटवारी ने पुलिस अनुसंधान कार्यवाही मे अपने बयानो मे स्वीकार किया है कि तामिल पंचायत मुख्यालय पर ही चस्पा किये गये है ।

वकील अपीलांट ने मयाद के संबंध मे अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे जब पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारी/कर्मचारी मौके पर आकर अपीलांटगण के खेत मे से जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया तो जानकारी करने पर पटवारी हल्का ने बताया कि आपके खेत मे से सरकार ने रास्ता निकाल राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया है और अब मौके पर रास्ता निकालने आये है , तब अपीलांटगण को इसकी जानकारी होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकले आदि प्राप्त कर तुरंत अपील समय सीमा मे पेश कर दी थी इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–5–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्पत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय मे किसी के आवेदन के बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसके जवाब मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पटवारी हल्का मीठडी, निरीक्षक भू अभिलेख गरल तथा तहसीलदार बाडमेर के संयुक्त हस्ताक्षर का प्रस्ताव दिखाते हुए अपीलांट के इस कथन को गलत बताया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तावित नक्शा,

जमाबंदिया आदि पेश की गई थी तथा पक्षकारो को अटल सेवा केन्द्र गरल मे दिनांक 9–5–2017 को उपस्थित होने बाबत नोटिस भी जारी हुए थे, इस बात को अपीलांट ने भी स्वीकार किया है कि नोटिस तो जारी हुए थे तथा न्याय आपके द्वार केम्प मे पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर केम्प मे विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील का खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने कथन किया कि अभियान मे कार्य शेष रहने पर अगली पंचायत मे प्रकरण रखकर जहां रास्ता चल रहा था परंतु राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे रास्ते का इन्द्राज नही होने से उसे अपीलाधीन निर्णय के द्वारा गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि वर्तमान अपील के अपीलांट संख्या 7/2 स्वयं ने इस न्यायालय मे दिनांक 2–11–2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके खातेदारी की भूमि मे से 05 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप मे ली जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, उसमे उसकी सहमति है तथा अपीलाधीन आदेश मे वर्णित रास्ता कदीमी है तथा 100 वर्षो से चल रहा है जो समस्त ग्राम वासियो के उपयोग व उपभोग मे आ रहा है, जिसे राजस्व रेकर्ड मे अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता दर्ज किया है जो सही है तथा गांव की पार्टीबाजी की वजह से मैने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर दी थी, जिसको वह चलाना नही चाहता है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2017 के विरूद्ध अपीलांटगण ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 1–7–2019 को करीब 2 वर्ष 2 माह विलंब से पेश की है जबकि अपीलांटगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी इसलिए अपीलांटगण की यह अपील मयाद बाहर होने से खारीज की जाये ।

अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–5–2017 को विधिवत, नियमानुसार, पक्षकारो को सुनवाई का नोटिस जारी करने के बाद, मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर राज्य सरकार द्वारा जारी रास्तो के संबंध मे जारी निर्देशो के क्रम मे पारित किया हुआ होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 की पालना मे सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे मौके पर स्थाई रूप से चालू (कदीमी) परंतु राजस्व रेकर्ड मे किसी भी रूप मे दर्ज नही है, कइं जगह कच्ची–पक्की सडक बन गई है, आम जन के आने जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तो का चिन्हिकरण करके तहसीलदार द्वारा ऐसे रास्तो को खातेदार की खातेदारी भूमि मे गै0मु0रास्ताके रूप मे दर्ज करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उसके निस्तारण के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम मे ग्राम केरलीनाडा हाजाणियो की ढाणी (मीठडा) के खसरा नंबरान 2065/1537, 1536, 2061/1967, 1969, 1977, 1978 मे से स्थाई रास्ता जो केरलीनाडा सडक से हाजाणियो की ढाणी तक जिसकी लंबाई 0.625 किमी. सलंग्न नक्शा मे रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाडमेर की ओर से प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को प्रस्तुत किये गये ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 309/2017 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम सोनाराम वगैरा दर्ज कर अप्रार्थीगण को अटल सेवा केन्द्र गरल मे दिनांक 9–5–2017 को उपस्थित होने के नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9–5–2017 को अटल सेवा केन्द्र गरल पर रखी गई तथा उसी दिन अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी मे मानते हुए तथा अप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित दर्शाते हुए एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–5–2017 के द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए तहसीलदार के प्रस्ताव एवं उसके सलंग्न नक्शा मे लाल रंग से दर्शाई रास्ते की भूमि को संबंधित खातेदार के खाते मे राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज करने बाबत आदेश पारित किये है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नोटिसेज जिसके द्वारा खातेदारान को दिनांक 9–5–2017 अटल सेवा केन्द्र गरल मे उपस्थित होने के जारी किये गये नोटिसेज पर तामिल कुनिन्दा द्वारा की गई रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 जैसाराम के अलावा सभी खातेदारान के नोटिसेज पर आबाद मकान पर चस्पादगी रिपोर्ट की गई है तथा उक्त चस्पादगी रिपोर्ट को तामिल पर्याप्त मानते हुए अप्रार्थीगणो को बावजुद सूचना अनुपस्थित बताते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अपीलाधीन निणय पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी भूमि मे से उसके अधिकार समाप्त करने से पूर्व उसको सुनना आवश्यक है परंतु वर्तमान प्रकरण मे अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर

दिये बिना पारित अपीलांटगण के खातेदारी के रकबे को कम कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि चूँकि अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को सुने बिना तथा उनकी अनुपस्थिति मे पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर प्रस्तुत वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित कारणो को सही मानते हुए अपीलांटगण की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण की उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–5–2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष तहसीलदार बाडमेर द्वारा रास्ते के सबंध मे प्रस्तुत प्रस्ताव जो सलंग्न नक्शे मे लाल रंग मे दर्शाये गये , के संबंध मे मौके जांच खातेदारान की उपस्थिति मे करवाकर, अपील मे प्रभावित सभी खसरा नंबरान के खातेदारो/अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे । नये सिरे से निर्णय पारित करते समय पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी चालू पगडंडी रास्ता बंद न हो तथा आमजन का आवागमन प्रभावित न हो।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर